543/2016 कन्हैयालाल / गोपाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो की तामील
19/6/24	पत्रावली पेश हुई जज S.D.O. साहब दौरे पर, जिससे कार्य में [illegible] कर्मचारियों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली वास्ते [illegible] 16/7/2024 को पेश हों।	
16/7/24	पत्रावली पेश हुई जज S.D.O. साहब दौरे पर, जिससे कार्य में [illegible] कर्मचारियों द्वारा कोर्ट कार्य स्थगित रखने से पत्रावली वास्ते [illegible] 31/7/2024 को पेश हों।	
31/7/24	पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता उप०। प्रा०पत्र O22R4 CPC एवं प्रा०पत्र O22R9 CPC पर उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रा० वास्ते सुनवाई आदेश दिनांक 22/8/24 को पेश हो। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर [illegible]	
22/8/24	पत्रावली पेश हुई अधि० उप०। पत्रावली मय प्रा०पत्र O22R9 R/W S151 CPC का गहनता से अध्ययन किया। प्रा०पत्र में कथन किया कि उक्त [illegible] के वाद में प्रतिवादी सं. 4 गोपीकिशन(?) पुत्र उदाराम की दिनांक 28/8/2010 को मृत्यु हो गई है इनके विधिक वारिसान को रेकर्ड पर लेने हेतु वकील वादी ने का०प्र० को रेकर्ड पर लेने हेतु प्रा०पत्र पेश नहीं किया है जबकि कानून मुताबिक को रेकर्ड पर लेने हेतु कानून 90 दिन की म्याद होती है। उक्त प्रकरण में मृतक गोपीकिशन(?) के का०प्र० को रेकर्ड पर लेने की म्याद निकल चुकी है। जो वादीगण का वादपत्र स्वतः ही एबेट हो चुका है कानूनी रूप से मृतक के का०प्र० को रेकर्ड पर लेने का प्रा०पत्र [illegible] नहीं [illegible] वादपत्र कानूनी रूप से [illegible] एबेट हो चुका है। वाद खारिज करावें। अधिवक्ता वादी द्वारा जवाब प्रा० में कथन किया कि वादीगण आवश्यक रूप से [illegible] (श्याम सुन्दर बिश्नोई) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:34 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

में निवास करने के कारण प्रतिवादी सं. चम्पा की
मृत्यु की कोई जानकारी नहीं थी न ही प्रार्थी की
कोर्ट से प्रति. नं. 5 फौत के बाद न्यायालय के
निर्णय से O22R10ए CPC का कोई आवेदन किया
गया। प्रति. गोपीकिशन की मृत्यु दिनांक 28/8/10
को होने के कथन पूर्णतया गलत है जबकि वाद
उक्त न्यायालय में वर्ष 2016 में प्रस्तुत किया गया
है। वाद प्रस्तुत के 6 वर्ष बाद प्रति. 5 की
मृत्यु हुई है जिसकी जानकारी होते ही अन्दर
म्याद प्रार्थना O22R4 CPC का प्रस्तुत कर दिया
गया है। इसलिए प्रति. नं. 5 गोपीकिशन की तीसरे
तक ही वाद उपशमित हुआ है. सम्पूर्ण वाद पत्र
अतः कानूनी रूप से नहीं है. निवेदन है। प्रति.
नं. 5 के विरुद्ध उपशमित वाद की कार्यवाही
करते समाप्त किया जावे विधिक प्रतिनिधियों को
वाद पत्र में संयोजित किया जावे। प्रतिवादी का नाम
पत्र संशोधित करावें।

हमने उभय पक्ष अधिवक्ता की बहस सुन
मनन करते हुए संलग्न विधिक प्रावधानों का सम्यक
अवलोकन किया।

अधिवक्ता प्रति. ने जवाब O22R4 R/W 151 CPC
प्रस्तुत किया कि प्रति. नं. 5 फौत हो चुके हैं जिनके
विधिक वारिसान को रेकॉर्ड पर लेने का [illegible] गयी
द्वारा कोई आवेदन पेश नहीं किया गया है। जबकि
का भी रेकॉर्ड पर लेने हेतु 90 दिन की म्याद होती है।
अतः [illegible] आवेदन पेश नहीं करने से
म्याद निकल जाने व [illegible]
वादीगण का वाद कानूनी रूप से [illegible]
वादीगण का वाद खारिज [illegible]

अधिवक्ता उभय [illegible]
कि वादीगण बाहर हैदराबाद रहते हैं जिससे उनको
प्रति. नं. 5 फौत की जानकारी नहीं होने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:34 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन
सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म कार्यवाही में जा
	अपने अधिवक्ता को सूचना नहीं दे सके। वहीं अधिवक्ता प्रति० द्वारा प्रति० सं० 4 कोर्ट में स्वयं लिखित में दी है। जानकारी होने की प्रार्थना 022 R4 CPC मय धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। इसलिये प्रति० सं० 4 तक ही वाद अबेट है जिनके [illegible] कर [illegible] पर लिया जावे।	
	अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना 022 R9 R14 151 CPC का दिनांक 11/8/17 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसकी एक प्रति वकील वादीगण को दिलाई गई। परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के भाग एक - विनिर्दिष्ट मामलों में आवेदन के किसी मृतक वादी एवं अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन पक्षकार बनाने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की परिसीमा (समयावधि) वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन विहित की गई है। इसी अधिनियम धारा 5 के अनुसार यदि आवेदक/अपीलार्थी विलम्ब काल के लिये पर्याप्त हेतुक प्रस्तुत करके विलम्ब काल का समाधान कर देता है तो ऐसी दशा में न्यायालय को कतिपय दशा में विलम्ब काल को माफ करते हुवे विहित काल के पश्चात भी आवेदन ग्रहण किये जा सकते हैं।	
	हस्तगत वादपत्र की आदेशिका, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात [illegible] आदि का अवलोकन किया [illegible] वाद के [illegible] जिनके [illegible] 022 R9 R14 151 CPC अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा [illegible] का दिनांक 11/8/17 [illegible] किया, जिसकी प्रति वकील वादी को दिलाई गई। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रति० सं० 4 कोर्ट की जानकारी वकील	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:34 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं [illegible]
सहायक कलक्टर, जैसलमेर([illegible])

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	वादी की हो गई थी।	

अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादीगण अधिवक्ता द्वारा भली भांति ज्ञात के बावजूद मृतक प्रति॰ नं॰ 4 ज्योतिकिशन के विधिक वारिसान को रेकॉर्ड पर लेने हेतु प्रपत्र 022 R4 CPC का दिनांक 26/11/20 को प्रस्तुत किया गया है। वकील वादीगण को प्रति॰ नं॰ 4 की मौत की सूचना होने के बावजूद भी करीबन 17 माह बाद प्रपत्र प्रस्तुत किया है। भली भांति ज्ञात होने के बावजूद 17 माह के दीर्घ विलम्ब बाबत कोई युक्तियुक्त, समुचित, पर्याप्त एवं विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं किया है। उपरोक्त तथ्य के वकील वादीगण द्वारा प्रपत्र पेश नहीं करने न्यायालय का कीमती वक्त बेवजह जाया किया है।

अतः धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के अन्तर्गत विलम्ब काल को माफ किया जाना विधि सम्मत एवं न्यायोचित नहीं होगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन पक्षकार बनाने के लिये प्रपत्र प्रस्तुत करने की परिसीमा मृत्यु की तारीख से 90 दिन से बाधित होने से अधिवक्ता प्रति॰ का प्रपत्र 022 R9 R1W151 CPC का स्वीकार किया जाना तथा वादीगण का वाद पर कायम उपशमित (अबेटमेंट) हो चुका होने तथा वादीगण द्वारा [illegible] न्यायालय द्वारा के निर्णय की पालना में [illegible] अबेटमेंट तकमील करने से वादीगण का [illegible] खारिज किया जाना [illegible] के प्रकाश में

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:34 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपर्युक्त विवेचन के [illegible] प्रतिवादी 022 R9 R1W151 CPC का भली-भांति स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है। तथा

[illegible] अधिकारी एवं [illegible] मजिस्ट्रेट, जैतारण [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जा[illegible]
	वाद वारीसान का प्रतिवादी की मृत्यु से 90 दिन के बाद पेश करने से खारिज। अर्जीदार [illegible] हो [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] [illegible] [illegible] किया जावे। आदेश [illegible] [illegible] से [illegible] जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल [illegible] हो बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर होवे। आदेश सुनाया गया। (श्याम सुन्दर बिश्नोई) उपखण्ड-अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (ब्यावर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

ज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी, मुकामः– जैतारण

ईजलास :– श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०

–: वादीगणः– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. कन्हैयालाल पुत्र मोतीलाल
2. अनिल पुत्र कन्हैयालाल

जातियान– सिखवाल, ब्राह्मण, निवासीगण– बलुन्दा हाल मुकाम– 15/1/492 विलखाना रंगचारी दवाखाना जैन मन्दिर के पास, हैदराबाद सिटी(तेलगाना राज्य)

1. गोपाल पुत्र दुर्गाप्रसाद
2. मनीष पुत्र दुर्गाप्रसाद

जातियान– सिखवाल ब्राह्मण, निवासीगण– सलीम नगर कॉलोनी, हाऊस नम्बर पी080 16/11/16 जी–4 हैदराबाद(तेलगाना राज्य)

3. तहसीलदार जैतारण जिला– पाली (राज)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0ःरा0वा0 स0ः 543/202016
डिक्री दिनांक – 22.08.2024

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्दई व श्री भगवती प्रसाद पटेल, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत आदेश 22 नियम 09 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के भलीभांति साबित होने और सारवान होने से स्वीकार किया जाता है तथा साथ ही इसके फलस्वरूप वादीगण का वादपत्र परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसुची के भाग एक– विनिर्दिष्टि मामलों में आवेदन में किसी मृतक वादी एवं अपीलार्थी के या मृत प्रतिवादी या प्रत्यर्थी के विधिक प्रतिनिधि को सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन पक्षकार बनाने के लिये प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की विहित परिसीमा यथास्थिति वादी, अपीलार्थी, प्रतिवादी या प्रत्यर्थी की मृत्यु की तारीख से 90 दिन से बाधित होने से जरिये अबेटमेन्ट खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी कदर फैसल शुमार होकर, संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22/08/2024 को जारी किया गया।

मोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला– ब्यावर)

...द्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
...म्प अर्जी दावा	05-00	स्टाम्प वकालतनामा	01-00
...म्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
...म्प वजह सबूत	-	महनताना वकील	
...हनताना वकील	-	खर्चा गवाहान	/
...र्चा गवाहान	03-00	फीस कमीश्नर	
...ीस कमीश्नर		बाबत ईजराय हुक्मनामा	
...ाबत ईजराय हुक्मनामा	/	मुत्फरिक	
मिजानः-	09-00	मिजानः-	01-00

...ोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए ...देलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2024.09.06 19:38:34 IST
Reason: SelfAttested